

उक्त विभागों में परस्पर कर्मचारियों के नियुक्ति नियम एवं शर्तें अलग-अलग हैं।

क.	विभाग का नाम	संविदा कर्मचारियों की संख्या
1	राजस्व विभाग	06
2	लोक सेवा गारंटी विभाग	02
3	जिला पंचायत विभाग	31
4	ग्रामीण यांत्रिकी विभाग	01
5	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	16
6	शिक्षा विभाग	396
7	महिला एवं बाल विकास विभाग	14
8	सामाजिक न्याय विभाग	02
9	आर्युष विभाग	12
10	जिला शिक्षा केन्द्र	14
11	जिला समन्वयक, जन अभियान परिषद्	05
12	कृषि विभाग	06
13	शासकीय पोलीटेक्निक कॉलेज	01
14	मुख्य वित्तिका एवं स्वास्थ्य अधिकारी	264

विधान सभा अंतराधिकृत प्रश्न क्रमांक 2206 के प्रश्नार्थ (क) परिशिष्ट - एक